



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509 220068, 223877 (ऑफिस)

क्रमांक-सीएसएफ/सूरत/2-आउटसोर्सिंग/कृषि/2016

दिनांक

-: निविदा सूचना :-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.) में खण्ड 1 के चक बीआरपी 3 (234.0 हैक्टर), 41 एसटीजी-(181.0 हैक्टर), 44 एसटीजी-(273.0 हैक्टर), खण्ड 2 के चक 33 पीबीएन-(276.0 हैक्टर), आरपीएम 3(253.0 हैक्टर) में खरीफ 2016 व रबी -2016-17 के सीजन में उगाई जाने वाली फसलों के कृषि कार्यों के सभी आदानों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से फसलों के उत्पादन में हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु सीलबन्ध निविदायें दिनांक 04.03.2016 को सांय 2.30 बजे तक आमत्रित की जाती है जो कि उसी दिन सांय 3.00 बजे कमेटी द्वारा खोली जायेगी। दिनांक 04.03.16 को निर्णय न हाने पर 19.3.16 व 05.04.16 को पुनः निविदाएं ली जायेंगी। निविदा में भाग लेने के लिए धरोहर राशि रुपये 1500/- मात्र प्रति हैक्टर (रुपये प्रन्द्रह सौ मात्र) का डी.डी. जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा कराना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट [npdcorpem.com](#) से भी डाउनलोड की जा सकती है। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। असफल बोलीदाता की राशि बैंक द्वारा लौटा दी जायेगी। निविदादाता को पेन नं. व स्थाई पते की प्रति देनी होगी। निविदा के नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक देखी जा सकती और निविदाफार्म, प्रपत्र एवम् नियम शर्तें रुपये 1000/- का डी डी जमा कराकर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म:सूरतगढ़
जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें।

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रुपये 1500/- मात्र प्रति हैक्टर (रुपये एक हजार पांच सौ) का डी.डी. जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाता को अपना पैन कार्ड व स्थायी पता देना होगा।
2. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज,उर्वरक कृषि रसायन (कीट एवं बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रेवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता से समायोजन किया जायेगा। पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूँ की फसल में प्रोपीकोनाजोल(फंगीसाइड फफूंदनाशक) दवा का छिड़काव, करनाल बंट नामक बीमारी के नियन्त्रण के लिए करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबन्ध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिड़काव करायेगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन की कीमत उसके अन्तिम भुगतान बिल में से काट ली जायेगी।
3. खेती से सम्बन्धित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुआई,उर्वरक का इस्तेमाल,पलेवा,सिंचाई,कृषि रसायन का इस्तेमाल,सिंचाई नालियों की साफ सफाई,फसल निराई गुड़ाई,रोंगिंग, फसल की रखवाली,कटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुँचाकर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक ऑपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष 2016-17 के लिए खरीफ 2016 व रबी 2016-17 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर दिया जायेगा।,निविदादाता को देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पादन के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा। तथा 20 प्रतिशत भुगतान फसल उत्पादन की दर निश्चित होने के पश्चात् किया जायेगा। यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिए श्रीगंगानगर

मण्डी(मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम व न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा। जिसका समय इस प्रकार होगा:- धान- 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उड़द,मूंग,मोठ व मूंगफली 1नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार - 1 से 31 अक्टूबर, सरसों - 16 अप्रैल से 15 मई, चना - 15 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ - 15 मई से 15 जून होगा। यदि सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त बोनस दिया जाता है तो वह फार्म द्वारा देय होगा।

4. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पंहुचा कर उतारने तक का कार्य सम्बन्धित चक ईचांज, खण्ड प्रभारी, व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
6. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतन्त्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदादाता फार्म चक पर ट्यूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदादाता की सहमति से निर्णय होगा कि ट्यूबवैल फार्म को रखने हैं या निविदादाता उखाड़ कर ले जायेगा। ट्यूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिए बिजली का कनेक्शन लेने के लिए फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. बीज उत्पादन के लिये पृथक्करण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदादाता को चक प्रभारी /खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करनी होगी। बीज प्रमाणिकरण से सम्बन्धित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुनः निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदादाता को भरनी होगी। यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पादन का भुगतान सूतगढ़ मण्डी के (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के न्यूनतम औसत दर से उसका भुगतान किया जायेगा।
8. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवम् दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व निविदादाता का होगा। यदि फार्म को किसी मामले में निविदादाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पड़ा तो फार्म मय हर्जे,खर्चे को निविदादाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा।
9. कटाई,ग्रेसिंग के बाद प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भरकर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके

उपरान्त पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।

10. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।
11. संबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदादाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (अण्डर टेकिंग) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हे वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पत्ति का निविदादाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निर्माण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबंधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी भी प्रकार के नुकसान,चोरी आदि की भरपाई निविदादाता से वसूली जायेगी।
12. संबंधित प्रक्षेत्र पर पशुधन रखने एवम् अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
13. संबंधित प्रक्षेत्र पर कौनसी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबन्धन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र,बुआई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एवम् सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबन्धन द्वारा घटाया व बढ़ाया जा सकता है।
14. निविदा में दिए गये एरिया को कम ज्यादा करने एवम् निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
15. फसल कटाई के उपरान्त पशु, भेड़ बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
16. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा। यदि फार्म का कृषि उपकरण / मशीनरी उपयोग में आयी तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा ।
17. राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरागुणा(भूसा व तूड़ी) निविदादाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वयं करेगा।
18. फसल कटाई,गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवम् फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
19. प्रत्येक फसल व प्रजाति के उत्पादन का लक्ष्य फार्म द्वारा निर्धारित किया जायेगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदादाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पाई जाती है तब निविदादाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी। निविदादाता का न्यूनतम उत्पादन लक्ष्य फार्म के औसत उत्पादन के बराबर होगा।
20. निविदादाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।

21. निविदादाता द्वारा कीट व बिमारी प्रबन्धन के लिए अधिकतर क्षेत्र में आई0पी0एम0 प्रक्रिया अपानानी होगी।
22. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदादात की होगी।
23. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र/येड़ी है तो निविदादाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
24. निविदादाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलेट करने का अधिकार नहीं होगा।
25. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिंग का कार्य फसल वर्ष 2016-17 (खरीफ 2016 व रबी-2016-17) के लिए होगा।
26. निविदादाता द्वारा कार्य सन्तोषजनक ढंग से नहीं करने पर उक्त कार्य फार्म द्वारा निविदादाता के खर्चे पर कराया जायेगा।
27. निविदादाता का सम्बन्ध केवल कृषि कार्य से ही रहेगा। तथा नियम व शर्तों के लिए ठेकेदार को रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध मय गवाहों के हस्ताक्षर के फार्म को देना होगा।
28. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका [पुर्वानुमान/नियन्त्रण/निदान](#) संभव नहीं हो, की स्थिति में यदि निविदादाता अनुबन्ध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति के आंकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
29. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबन्धक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लि0 नई दिल्ली अथवा उनके द्वारा नामित एकल आर्बिट्रेटर का निर्णय अन्तिम होगा जो कि पक्षकारान को मान्य होगा। न्यायिक मामले उस न्यायलय में क्षेत्राधिकार माना जायेगा जिसके अन्तर्गत एकल मध्यस्थ की सुनवाई होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

फार्म प्रतिनिधि



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)
केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़
जिला श्रीगंगानगर (राज.)
01509-220006, 223877 (ऑफिस)
फैक्स-01509-220068, 223877 (ऑफिस)

पत्रांक/के0रा0फा0/सूरत/2-आउटसोर्सिंग/2025-16- दिनांक 2016

निविदा पत्र

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति के आधार पर वर्ष 2016-17 में केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर के चक संख्या..... की जमीन पर बीज उत्पादन के लिए दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत हैं।

1. निविदादाता का नाम व पता.....
2. वोटर आईडी/आधार कार्ड नम्बर (प्रतिलिपि सहित).....
.....
3. फोन नम्बर.....
4. पेन कार्ड नम्बर (प्रतिलिपि सहित).....
5. अमानत राशि का विवरण डी0डी0 नम्बर.....

क्र०स०	फसल उत्पाद की दर प्रतिशत में जो निविदादाता द्वारा ली जानी है।		
	प्रस्तावित चक का नाम व क्षेत्र (हैक्टर)	फसल सीजन, फसल का नाम व क्षेत्र (हैक्टर)	फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत में फसलवार
1.	बीआरपी-3 -234 हैक्टेयर		
2.	44 एसटीजी -181 हैक्टेयर		
3.	44 एसटीजी -273 हैक्टेयर		
4	33 पीबीएन 276 हैक्टेयर		
5	आरपीएम-3-253 हैक्टेयर		

मैंने निविदा की समस्त नियम व शर्तें अच्छी तरह पढ़ व समझली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का सपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम व पूरा पता.....

